न्यायालय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर केम्प उज्जैन म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /2015 अपील / 3538-III-15

भवानीसिंह शेखावत आत्मज स्व0 श्री गजानन्दसिंह
महामंत्री, ग्रेसिम क्रांन्तिकारी कर्मचारी यूनियन नागदा
निवासीः 5/1 बी.सी.आई. स्टाफ कालोनी बिरलाग्राम
नागदा, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश......................अपीलार्थी

विरूद्ध

1. ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बिरलाग्राम नागदा
द्वारा, सावरमल जालवाल सहायक महाप्रबंधक विधि,
बिरलाग्राम नागदा जिला उज्जैन मध्यप्रदेश

2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा, कलेक्टर जिला उज्जैन
मध्यप्रदेश

3. मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल एवं अधोसंरचना
विकास मण्डल उज्जैन ....अनावेदकगण

द्वितीयअपील अन्तगर्त धारा 44 मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता आलोच्य आदेश दिनांक 20/07/2015 जो विद्वान अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक–2/अपील/2014–15 में पारित किया गया एवं प्रकरण क्रमांक 1/अ–39/2013–2014 में पारित आदेश दिनांक 17/09/2014 निरस्त कर दिया गया है।

माननीय महोदय,
अपीलार्थी की ओर से निम्नलिखित अपील सादर प्रस्तुत हैः–

::अपील के संक्षिप्त तथ्य ::

1. यह कि अपीलार्थी/आवेदक द्वारा श्रीमान आयुक्त महोदय उज्जैन सम्भाग उज्जैन, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन एवं श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसील नागदा, जिला उज्जैन को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्वालीयर स्टेट (शासन) ने मेसर्स बिड़ला ब्रदर्स लिमिटेड ग्वालियर को वास्ते कायमी टेक्सटाईल मिल्स नवाजियात (स्थापित) करने के लिये नागदा, ग्राम पाडलियां कला व ग्राम मेहतवास तत्कालीन तहसील खाचरौद जो वर्तमान में तहसील नागदा, जिला उज्जैन हैं को दिनांक 17/07/1943 एवं फिर पुनः मेसर्स बिड़ला ब्रदर्स कलकत्ता को पदमावती राजे कॉटन मिल्स नागदा के निर्माण के लिये दिनांक 24/02/1945 में हजारों बीघा भूमि पदमावती राजे कॉटन मिल्स जिसका वर्तमान में नाम भारत कामर्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड नागदा जो दिनांक 3 जून 2000 से बन्द हैं और बन्द होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर ने भारत कामर्स इंण्डस्ट्रीज लिमिटेड की संम्पत्ति के लिये परिसमापक नियुक्त किया हैं। परिसमापक महोदय द्वारा भारत कामर्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेडलिमिटेड नागदा की सम्पूर्ण सम्पत्ति को निलाम करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी हैं जिसमें

2

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक A-3538-III/15 जिला उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.12.18	अपीलार्थी भवानी सिंह शेखावत अपने अभिवक्ता श्री लोकेन्द्र झा सहित उपस्थित। प्रत्यर्थी क्र. 1 की ओर से अभिवक्ता श्री विवेक खेड़कर, प्रत्यर्थी क्र. 2 शासन की ओर से अभिवक्ता श्री प्रखर डेंगुला उपस्थित। प्रत्यर्थी क्र. 3 मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल की ओर से अभिवक्ता श्री डी. एस. कुशवाह उप०। अपीलार्थी भवानी सिंह द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में पारित आदेश दिनांक 03.04.2018 के प्रकाश में वे इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। अतः प्रकरण समाप्त किया जाए। प्रत्यर्थीगण अभिवक्ताओं को कोई आपत्ति नहीं है। अतः विचारोपरांत अपीलार्थी अभिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है एवं यह अपील इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो। (हस्ताक्षर) प्रशा० सदस्य	(हस्ताक्षर)

[कृ. प. उ.